न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/283

मिसल नम्बर– 90 / 2024

श्रीमति रूकमण कंवर पत्नि स्व0 शिवप्रसाद आयु 78 वर्ष निवासी गत्ता फैक्ट्री रोड, जागो का मोहल्ला कंसुआ कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 शिवप्रसाद सिंह आयु 48 वर्ष
2.श्रीमती हंस कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह आयु 45 वर्ष निवासीगण गत्ता फैक्ट्री रोड, जागो का मोहल्ला कंसुआ कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/1/25

उपस्थिति:–

1.श्री योगेश गुप्ता प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री लीलाधर अग्रवाल अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया स्थाई रूप से कोटा की निवासी है अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीया का पुत्र है तथा अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थीया की पुत्रवधू है। अप्रार्थी क्रम 1 श्रीराम रेयन्स में सर्विस करता है तथा अप्रार्थी क्रम 2 व्यूटी पार्लर चलाती है। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थीया के तीन पुत्र है। भंवर सिंह, हरेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीया का छोटा पुत्र है, प्रार्थीया अपने पुत्र भंवर सिंह व उसके परिवार के साथ कंसुआ मे स्थित मकान मे निवास करती है। भंवर सिंह की पत्नि एवं उसके पुत्र क्रमशः देवेन्द्र सिह सोलंकी एवं युवराज सिंह सोलंकी प्रार्थीया की सेवा सुश्रूषा करते, हारी बीमारी मे ईलाज करवाने का ध्यान रखते है। प्रार्थीया का पुत्र (अप्रार्थी क्रम 1) उक्त मकान के आगे हिस्से में अपने परिवार के साथ निवास करता है। उक्त मकान प्रार्थीया के आधिपत्य व स्वामित्व का है। जिसको प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को रहने के लिए दे रखा है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीया से लडाई– झगडा करते है, पैसे मांगते है तथा नही देने पर अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थीया के साथ मारपीट करती है इस संबंध मे प्रार्थीया का पुत्र भंवर सिंह व उसकी पत्नि व पुत्र कुछ कहते है तो अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थीया के पुत्र भंवर सिंह को झूठे मुकदमें में फंसाने बलात्कार को केस लगाने की धमकी देती है। बच्चो व पत्नि को झूठा केस लगाकर जेल भेजने की धमकी देती है। प्रार्थीया वृद्ध महिला है प्रार्थीया के पति की कुछ जमीन है जिसकी मुनाफे की राशि मे प्रार्थीया अपना ईलाज करवाती है व अपना जीवन यापन कर रही .है। उक्त जमीन की राशि को भी अप्रार्थीगण मांगते है तथा नही देने पर प्रार्थीया के साथ मारपीट करते है। प्राथीया के साथ मारपीट करने की एक रिपोर्ट दिनांक 13.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

05.2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा को दी गई परन्तु उक्त रिपोर्ट पर कोई ठोस कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध नही की, केवल अप्रार्थीगण को पाबंद कर दिया। पाबंद करने के बाद भी अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के साथ आयेदिन लडाई–झगडा व मारपीट करते है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.09.2024 को लडाई झगडा किया तथा प्रार्थीया के बेटे भंवर सिंह द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगा रखे है ताकि अप्रार्थीगण कोई झूठा इल्जाम नही लगा दे। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण जहां कैमरे लगा हुआ नहीं है, जहा पर कैमरे में दिखाई नही दे, उसी जगह जाकर प्रार्थीया को बुलाकर गाली गलौच कर लडाई झगडा करती है। दिनांक 01.09.2024 को अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट की गई। इससे पूर्व भी अप्रार्थीगण द्वारा कई बार लडाई झगडा कर चुके है जिसकी विडियो रिकोर्डिंग भी है। लडाई झगडे की ऑनलाईन भी रिपोर्ट करवा गई है। अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थीया के पति के समय से ही अच्छा नही रहा है। अप्रार्थीया क्रम 2, प्रार्थीया के पति शिवप्रसाद सिंह जब जीवित थे उनके जीवनकाल मे ही केरोसीन डालकर मरने की धमकी दे चुकी थी तथा एक बार बक्से मे रखे कपडे जला दिये तथा अपने आपको मारने के लिए नाटक किया तथा प्रार्थीया के पति पर दबाव बनाया, उक्त दबाव के कारण मजबूरीवश प्रार्थीया के पति को 1,00,000/–रुपये दिये उसके बाद लडाई झगडा करने के कारण आगे ब्यूटी पार्लर खोलने की जिद की, प्रार्थीया के पति द्वारा 55,000/–रुपये ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलने के दिये तथा उपर के पोरशन मे एक कमरे का निर्माण कराया उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण लडाई–झगडा करते रहते थे तथा राशि की मांग करते थे राशि नही देने पर अभद्र व्यवहार करते थे। प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद होने वाले खर्चे की मांग प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 से की तो उसने खर्चा देने से मना कर दिया, इस कारण प्रार्थीया के द्वारा दूसरे पुत्र से भी खर्चे की राशि नही ली गई, सारा खर्चा प्रार्थीया द्वारा कर्ज लेकर सभी कार्यक्रम किये। प्रार्थिया के पति ने अपने जीवनकाल में बैंक से 1,50,000/–रुपये का केसीसी ले रखी थी जिसका व्याज भी सालाना 9,000/–रुपये प्रार्थीया ही जमा कर रही है। प्रार्थीया के पति की बीमारी मे भी कोई खर्चा अप्रार्थीगण ने नही किया, प्रार्थीया द्वारा ही सारा खर्चा वहन किया गया। प्रार्थीया अपनी पेंशन व खेती की जमीन से अपना खर्चा चलाती है तथा बीमारी का खर्चा भी स्वयं वहन करती है। प्रार्थीया के पति कोई जमापूंजी छोडकर नही गये। अप्रार्थीगण के आये दिन प्रार्थीया के साथ व उसके बेटे भंवर सिंह व उसके परिवार के साथ लडाई झगडा करने, मारपीट करने, अभद्र व्यवहार करने, गाली गलौच करने के कारण भयभीत है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को कभी अकेली देखकर जान से मार सकते है इस संबंध मे अप्रार्थीगण द्वारा धमकी दे रखी है। प्रार्थीया के पुत्र भंवर सिंह व उसके परिवार को भी धमकी देती है कि वह प्रार्थीया को घर से निकाल दे तथा प्रार्थीया की देखभाल नही करें, अन्यथा झूठे केस में फंसा देगी। उक्त समस्त कारणों से प्रार्थीया अप्रार्थीगण को अपने स्वामित्व व आधिपत्य का मकान जो कंसुआ मे स्थित है, से बेदखल करना चाहती है। इस संबंध मे प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण से मकान खाली करने की कहा तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रार्थीया के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा धक्का मुक्की की। उक्त घटना के कारण प्रार्थीया की तबियत खराब हो गई। प्रार्थीया का पुत्र भंवर सिंह ईलाज के लिए तुरन्त अस्पताल लेकर गये तथा वहां डॉ0 द्वारा चौकअप करने परे माईनर हार्ट अटैक बताया। उक्त समस्त घटनायें अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ की जाती रही है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के साथ लडाई–झगडा करके परेशान करते है ताकि प्रार्थीया परेशान होकर घर से निकल जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जबकि हर बेटे का यह दायित्व होता है कि वह वृद्ध अवस्था मे माता–पिता की सेवा–सुश्रुषा करें परन्तु अप्रार्थीगण, प्रार्थीया से नाजायज रूप से पैसो की मांग करते है। तथा परेशान करते है इस कारण अप्रार्थीगण. का प्रार्थीया के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार करते है इस कारण प्रार्थीया अपने आधिपत्य व स्वामित्व के उक्त मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीया अपने स्वामित्व व आधिपत्य के मकान मे अपने अंतिम समय में अपनी इच्छा से अपना जीवन यापन कर सकें, ये सब अधिकार वरिष्ठ नागरिको को है। परन्तु अप्रार्थीगण के कृत्य के कारण आयेदिन लडाई झगडा करने के कारण प्रार्थीया अपनी सम्पत्ति का उपयोग–उपभोग व अपना जीवन यापन नही कर पा रही है तथा हमेशा भयभीत जैसा माहौल बना रहता है कि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थीया के साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित कर सकते है जिससे प्रार्थीया की जान का खतरा बना रहता है। माता–पिता की इच्छा के विरूद्ध किसी भी वयस्क पुत्र–पुत्री को जबरन माता–पिता की सम्पत्ति में रहने का अधिकार नही है। बल्कि वरिष्ठ माता–पिता की सेवा व खाने–पीने की व्यवस्था व अन्य सेवा सुश्रूषा करनी चाहिये। माता पिता को अधिकार प्राप्त है कि काई भी वरिष्ठजन माता पिता की खाने पीने व रहने की व्यवस्था नही करे तो उन्हे कानूनन उक्त सेवाये प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की सम्पत्ति मकान स्थित कंसुआ, कोटा से अप्रार्थीगण को उपयोग–उपभोग से पूर्ण रूप से बंचित किया जावे तथा मकान से बेदखल कर खाली करवाकर कब्जा प्रार्थीया को दिलवाया जावे । ऐसी व्यवस्था प्रदान की जावे कि प्रार्थीया का स्वयं को सुरक्षित महसूस कर अपनी सम्पत्ति का उपयोग उपभोग कर सके, इस संबंधित थाना उद्योग नगर, कोटा के पुलिस अधिकारी को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण तत्काल प्रभाव से प्रार्थीया के मकान स्थित कंसुआ, कोटा को खाली करवाकर कब्जा प्रार्थीया का संभलाया जावे तथा भविष्य में अप्रार्थीगण द्वारा लडाई झंगडा करने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध तुरन्त कार्यवाही करें तथा प्रार्थीया के जीवन व सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न होने पर एवं आवश्यकता होने पर सुरक्षा प्रदान किये जाना आदेशित फरमावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थीगण की ओर से बहस नही की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करते है जिस कारण अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के स्वामित्व वाले मकान से बेदखल किया जाना आवश्यक है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा जारी पट्टे की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि उक्त मकान पर प्रार्थीया का स्वामित्व है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित म. नं. गत्ता फैक्ट्री रोड, जागो का मोहल्ला कंसुआ कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थीया के शांतिपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
को.र

निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थीया की सेवा सुश्रुषा करें। प्रार्थीया अप्रार्थीगण की माता/सास है, अप्रार्थीगण का नैतिक कर्तव्य है कि वे अपनी माता/ सास की देखभाल–सार संभाल करे, भरण पोषण आदि की व्यवस्था करें। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट की जाती है तो प्रार्थीया थानाधिकारी उघोगनगर को अप्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद पेश करे एवं थानाधिकारी उघोगनगर उक्त परिवाद के सम्बंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे एवं प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुनः बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 01/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा